कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ

दूरभाषः 0522-2204295, 2205310, फैक्सः 0522-2204163

टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203

Website: https://www.upcane.gov.in / E-mail: upcdrs@gmail.com
Facebook: https:/www.facebook.com/upcane/?re=page_internal
Twitter: https://www.twitter.com/canewebsite
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCEwkr8BAGSaAwmeXo9fJong

<u>प्रेस नोट</u>

- **प्रदेश की गन्ना विकास परिषदों के लम्बित संतुलन पत्र 30 सितम्बर 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश।**
- **गन्ना परिषदों के संतुलन पत्रों की सम्परीक्षा हेतु चार्टड एकाउण्टेंट के मानक नियत।**
- **चार्टरित लेखाकारों की फीस निर्धारण हेतु विधिवत प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य।**

<u>लखनऊ : 8 जून, 2018</u>

गन्ना विकास विभाग में विभागीय सम्परीक्षा विंग के विलोपित हो जाने के उपरान्त उ.प्र. गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन नियमावली, 1954 के नियम–13 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषदों के संतुलन पत्रों की सम्परीक्षा चार्टड एकाउण्टेंट से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने इस संबंध में इस कार्य हेतु नियत चार्टड एकाउण्टेंट के मानक निर्धारित कर दिये हैं।

Scanned by CamScanner

प्रदेश की गन्ना विकास परिषदों के संतुलन पत्रों की सम्परीक्षा अब केवल वे ही चार्टर्ड एकाउण्टेंट कर सकेंगे, जिनका सी.ए.जी. में रजिस्ट्रेशन होगा और ऐसे लेखाकार का उसी जनपद से सम्बन्ध होना चाहिए, जहां गन्ना विकास परिषद स्थापित है। इसके अतिरिक्त ऐसे चार्टर्ड एकाउण्टेंट जो गन्ना विकास परिषदों की सम्परीक्षा में योजित किये जायेगे, का कोई भी सम्बन्धी विभाग की गन्ना विकास परिषद, गन्ना विकास समिति या चीनी मिल में नही होना चाहिए। साथ ही, नामित चार्टर्ड एकाउण्टेंट की पार्टनरशिप फर्म अवश्य होनी चाहिए।

सभी परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की गन्ना विकास परिषदों के लम्बित संतुलन पत्र प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर 2018 तक पूर्ण करा लिये जाये और वर्ष 2015–16 के सम्परीक्षित संतुलन पत्र की प्रति मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई जाये। क्षेत्रीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चार्टरित लेखाकारों की फीस निर्धारण हेतु विधिवत प्रस्ताव, फीस की प्रस्तावित धनराशि के साथ मुख्यालय पर ससमय प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned by CamScanner